

	परियोजना / स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र :-	उप प्रो राज्य
(ii)	जिला :-	बाराबंकी
(iii)	वन प्रभाग :-	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.167175 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति :-	संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और धरिधि क्षेत्री वार वृक्षों की परिगणना, (संलग्न की जाय)। सिंभाई / जलतीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर. एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए।	रिक्त (संलग्नक -6)
(vii)	हरियाली वन घनत्व	0.2
(viii)	भूस्तरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपज (घास / झाड़ियाँ) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित सील के वन सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी संरक्षित घोषित है। प्रस्तावित वनेतर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से अलग है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, घास रिजर्व, इन्धु कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्यजीव पाठन की टिप्पणियाँ अनुबद्धित की जाए)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिकत की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ / तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें?	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारस्परिक स्थल / खास प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकारी का अनुमति प्रमाण पत्र के साथ यदि उपलब्ध हो दें।	नहीं
8	उपमोक्षा एजेंसी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के ब्योरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	क्या अभिलेखन के उत्खनन में कोई कार्य किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें तथा उत्खनन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा।	प्रस्तावित किया गया है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिलेखित वनेतर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी मू-खण्डों की संख्या प्रत्येक मू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिलेखित वनेतर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	संक्षिप्त की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत बाँधा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल विलीय परिव्यय।	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिलेखित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संरक्षित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्नक है-4
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपबद्धित कालम-7, 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्नक करें)	
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4402.00 वर्ग किमी.
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	54.75 वर्ग किमी.
(iii)	मामूली की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	39 मामूली, क्षेत्रफल 194.887504 हे०
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	362.7920072 हे०
(क)	वण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	रिक्त
(ख)	वनेतर भूमि पर	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	321.463734 हे०
(ख)	वनेतर भूमि पर	रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अग्रगण्य लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम संरक्षित वन का प्रयोग वनेतर कार्य के लिए संस्तुति की जाती है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति लगभग शून्य है।

दिनांक 03-11-2012

स्थान बाराबंकी

हस्ताक्षर
सरकारी मोहर


प्रभागीय निदेशक

श. व. वन प्रभाग